ए.

आशुतोष सामंत (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. और ओ. आर. एस. बनाम

एसएम। रंजन बाला दासी और ओआरएस। (2021 की सिविल अपील संख्या 7775) 14 मार्च, 2023

बी.

[एस**.** रवींद्र भाट और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

साक्ष्य अधिनियम, 1872-ss.68, 69, 71 और 90-वसीयत का प्रमाण-आयोजितःवसीयत को केवल उनकी उम्र के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता है-अनुमान यू/एस।90, 30 वर्ष से अधिक आयु के दस्तावेजों की नियमितता के बारे में साक्ष्य अधिनियम जब वसीयत के प्रमाण की बात आती है तो लागू नहीं होता है, जिसे एस. एस. के संदर्भ में साबित करना होता है।63((ग) उत्तराधिकार अधिनियम और धाराएँ।68, साक्ष्य अधिनियम-अक्सर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जब वसीयत जो अन्यथा सत्यापित होने की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है, उक्त दो प्रावधानों के संदर्भ में साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रमाणक गवाह उपलब्ध नहीं हैं, या यदि गवाहों में से एक वसीयत को सत्यापित करने से इनकार करता है।69 और 71, साक्ष्य अधिनियम तब प्रस्तावक की सहायता के लिए आता है-तथ्यों पर, वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था, और प्रतिवादी-प्रस्तावक इसे साबित करने में सफल रहा-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में कोई कमजोरी नहीं-भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 -एस. 63 (सी)।

सी.

डी.

ई.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

पकड़नाः**1.1** वसीयत को केवल उनकी उम्र के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता है**-** जब वसीयत के प्रमाण की बात आती है तो **30** वर्ष से अधिक उम्र के दस्तावेजों की नियमितता के बारे में धारा **90** के तहत धारणा लागू नहीं होती है**,** जिसे उत्तराधिकार अधिनियम**, 1925** की धारा **63 (**सी**)** और साक्ष्य अधिनियम**, 1872** की धारा **68** के संदर्भ में साबित करना होता है।अक्सर ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब वसीयत जो अन्यथा सत्यापित होने की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं**,** जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है**,** उक्त दो प्रावधानों के संदर्भ में साबित नहीं किया जा सकता है**,** क्योंकि प्रमाणक गवाह

उपलब्ध नहीं हैं, या यदि गवाहों में से एक वसीयत को सत्यापित करने से इनकार करता है। साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **69** और **71** तब प्रस्तावक की सहायता के लिए आती हैं।ऐसी स्थिति में जहां प्रमाणक गवाहों की मृत्यु हो गई हो, या उन्हें नहीं पाया जा सकता है, प्रस्तावक असहाय नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम, **1872** की धारा **69** लागू होती है।**[**पारस **13,14,17] [243-**बी-डी**; 245-**डी-ई**]**

एफ.

जी.

एच.

1.2 वर्तमान मामले में, दोनों गवाहों की मृत्यु हो चुकी थी।वसीयतकर्ता के दोनों बेटों ने वसीयत पर हस्ताक्षर करने पर अपनी उपस्थिति के बारे में बयान दिया।उन्होंने 'एन**.** बी**.**' के हस्ताक्षरों की भी पहचान की, जिन्होंने वसीयत तैयार की और हस्ताक्षर किए।इसके अलावा, 'एनबी' के बेटे पीडब्लू**-4** को अपदस्थ कर दिया गया।अपने साक्ष्य में उन्होंने गवाही दी कि जब वसीयतकर्ता और दो प्रमाणक गवाहों ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए तो वह मौजूद थे**;** वह उनके हस्ताक्षरों की पहचान करने में सक्षम थे।यह गवाह शिक्षित और स्नातक था।जिन परिस्थितियों में वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे, जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे और जो सभी मौजूद थे, उन्हें उनके द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था।इसके अलावा, गवाह ने भी जिरह का सामना किया।गवाहों के बयान के अलावा, निचली अदालत उस विभाजन विलेख पर निर्भर थी जिसने इसे प्रभावी बनाया और जिसमें वसीयत की शर्तों के अनुसार शेयर वितरित किए गए थे।यह दस्तावेज़ एक पंजीकृत था**;** इसके अलावा, अपीलार्थी के पूर्ववर्ती स्वर्गीय 'यू' ने भी एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए, जिसमें बीमारी के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था।यदि उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाए कि 'यू' के किसी भी उत्तराधिकारी ने प्रशासन के पत्रों के अनुदान का विरोध नहीं किया, तो केवल एक ही निष्कर्ष हो सकता है, अर्थात, वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था, और इसमें प्रस्तावक/प्रतिवादी इसे साबित करने में सफल रहा था।**[**पारस **18,19** और **20] [245-**ई**-**एच**; 246-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

एम. बी. रमेश (डी) एल. आर. बनाम के. एम. वीरजे उर्स (डी) द्वारा

एल. आर. और अन्य। सिविल अपील सं. 1071/2006; बाबू सिंह

&ओआरएस**.** वी**.**राम सहाय उर्फ राम सिंह **[2008] 7** एससीआर **250;** के**.** लक्ष्मणन बनाम थेक्कायिल पद्मिनी और अन्य। **[2008] 16** एससीआर **1117;** वी**.** कल्याणस्वामी **(**डी**)** एल**.** आर**.** द्वारा और अन्य बनाम एल**.** भक्तवत्सलम **(**डी**)** एल**.** आर**.** और अन्य**,** सिविल अपील द्वारा

एफ.

नहीं**. 1021-26/2013-**पर भरोसा किया।मामला कानून संदर्भ

[2008] 7 एससीआर **250**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

[2008] 16 एससीआर **1117**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2021 की सिविल अपील संख्या 7775।

1972 के एफ. ए. सं. 664 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक 02.02.2007 के निर्णय और आदेश से।

एच.

239

आशुतोष सामंत (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनामएसएम। रंजन बाला दासी ए

ए.

रंजन मुखर्जी, अपीलार्थीगण के लिए अधिवक्ता।

विकास कर गुप्ता, श्रीमती देबरती साधु, अजीम एच. लस्कर, एस. के. बिस्वाल, श्रीमती देबंजना रायचौधरी, अविजीत भट्टाचार्जी, सुभ्रो सान्याल, सुश्री अपराजित मुखर्जी, अधिवक्ता। शरणार्थियों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

एस. रवींद्र भाट, जे. पृष्ठभूमि

1. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (इसके बाद, "अधिनियम") की धारा 278 के तहत प्रशासन के पत्र देने के लिए याचिका को अनुमति देने वाले निचली अदालत 2 के एक फैसले और डिक्री की पुष्टि की गई थी।पीड़ित प्रतिवादी इस अदालत के समक्ष अपीलार्थी है।2. संक्षेप में तथ्य यह है कि एक गोसाईदास सामंत (इसके बाद, "वसीयतकर्ता") के तीन बेटे थे-उपेंद्र, अनुकुल और महादेव।उनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार में उनके तीन बेटे और विधवा भगवती दास हैं, और वे अपने पीछे 16.11.1929 की एक वसीयत छोड़ गए हैं।वसीयतकर्ता ने अपनी संपत्ति तीन उत्तराधिकारियों के बीच वसीयत की-उनके बेटे अनुकुल और महादेव, और उनके पोते शिबू, उपेंद्र के बेटे (जिन्हें कोई हिस्सा नहीं दिया गया था)।21.02.1945 पर, इन तीन सह-भागीदारों के बीच एक विभाजन विलेख तैयार किया गया था।यह व्यवस्था स्पष्ट रूप से उपेंद्र द्वारा स्वीकार की गई थी, जिन्होंने शिबू द्वारा बेचे गए संपत्तियों के एक हिस्से के संबंध में एक अस्वीकरण दस्तावेज को निष्पादित किया था।

सी.

डी.

ई.

3. 1952 में, यह आरोप लगाते हुए कि वसीयतकर्ता के स्वामित्व वाली संपत्तियों के एक हिस्से पर उनका कब्जा था, और उन्होंने उन्हें उपेंद्र से खरीदा था, वर्तमान अपीलार्थी ने विभाजन और कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया।मुकदमा इस निष्कर्ष पर खारिज कर दिया गया कि वर्तमान अपीलार्थी का कोई अधिकार नहीं था।3 हालाँकि उस फैसले को अपीलीय अदालत ने उलट दिया जिसने विभाजन के लिए एक प्रारंभिक आदेश पारित किया।4 वर्तमान प्रत्यर्थी (महादेव के पुत्र) द्वारा एक और अपील पर, उच्च न्यायालय ने देखा कि हालांकि वसीयत पर भरोसा किया गया था, लेकिन न तो इसकी जांच की गई थी और न ही इसके संबंध में प्रशासन के पत्र मांगे गए थे।5 उच्च न्यायालय ने इसमें प्रत्यर्थी के कब्जे के बारे में संदेह व्यक्त किया।

एफ.

जी.

1 एफ. ए. सं. 664/1972, दिनांक 02.02.2007 2 O. S. सं. 7/1969, दिनांक 31.05.1972।

3 शीर्षक मुकदमा सं. 647/1952, दिनांक 29.08.1957।4 शीर्षक अपील सं. 1027/1957, दिनांक 17.02.1959।

5 अपीलीय डिक्री संख्या 950/1959, दिनांक 27.11.1967 से अपील।

4. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से प्रोबेट या प्रशासन के पत्रों की अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थीगणओं ने प्रशासन के पत्रों के लिए सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटाया।सुनवाई के समय कोई भी गवाह जीवित नहीं था।इसलिए निचली अदालत ने वसीयतकर्ता के दो बेटों के बयानों के साथ-साथ सुरेंद्र नाथ भौमिक के बयान पर भरोसा किया, जिन्होंने वसीयतकर्ता को वसीयत पर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए देखा था।

बी.

5. प्रशासनिक कार्यवाही का विरोध वर्तमान अपीलार्थी यानी उपेंद्र से संपत्तियों के खरीदार ने किया था।उन्होंने तर्क दिया कि कार्यवाही बनाए रखने योग्य नहीं थी क्योंकि अत्यधिक लंबे समय के बाद राहत मांगी गई थी।निचली अदालत ने गवाहों के बयानों के साथ-साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों पर भरोसा किया, जिसमें विभाजन का पंजीकृत विलेख, दिनांक 21.02.1945 शामिल था, जिसमें स्पष्ट रूप से विचाराधीन वसीयत का उल्लेख था।निचली अदालत ने एक दस्तावेज, यानी उपेंद्र द्वारा निष्पादित विलेख पर भी भरोसा किया, जिसमें वसीयत का संदर्भ भी था।

सी.

डी.

6. सामग्री को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने एक निष्कर्ष दर्ज किया कि प्रत्यर्थी प्रशासन के पत्रों का हकदार था।इस फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई थी।7 इसलिए, वर्तमान अपील।

दलीलें

7. अपीलार्थी की ओर से श्री रंजन मुखर्जी, एल. डी. ने तर्क दिया था। अधिवक्ता, कि नीचे की अदालतें वसीयत पर भरोसा नहीं कर सकती थीं और यह साबित करने के लिए कि वसीयत को ठीक से निष्पादित किया गया था, किसी भी सबूत के अभाव में प्रशासन के पत्रों

को मंजूरी दे दी।यह आग्रह किया गया था कि वसीयत के निष्पादन के आसपास संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं जो इसकी वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा करती हैं क्योंकि प्रस्तावक ने विभाजन के लिए पिछले मुकदमे में प्रतिकूल कब्जे के लिए एक सहित विभिन्न विवाद उठाए थे।यह भी तर्क दिया गया कि निचली अदालतें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के आधार पर वसीयत को स्वीकार नहीं कर सकती थीं और न ही 1945 के विभाजन विलेख पर भरोसा कर सकती थीं और न ही उपेंद्र द्वारा निष्पादित किए गए 'नबदी' पर।यह आग्रह किया गया था कि अदालत का दरवाजा खटखटाने में अत्यधिक देरी ने प्रशासन के पत्रों के दावे को विफल कर दिया होगा।

ई.

एफ.

जी.

8. दूसरी ओर, श्री बिकाश कर गुप्ता, एल. डी. अधिवक्ता ने प्रत्यर्थीगण की ओर से तर्क दिया कि वर्तमान मामला एक है

6 ओ. एस. सं. 79/1969 दाखिल करके। 7 विवादित निर्णय।

एच.

241

आशुतोष सामंत (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनामएसएम। रंजन बाला दासी [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

जहाँ न्यायालयों ने तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष दिए हैं, जिनमें इस न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।यह आग्रह किया गया कि वसीयत को विधिवत साबित किया गया और प्रशासन के पत्रों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने में देरी का सवाल ही नहीं उठता।

9. प्रत्यर्थी ने अभिलेख और निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत निष्कर्षों पर भरोसा किया था और तर्क दिया था कि दोनों अदालतों ने लगातार संतोष दर्ज किया कि वसीयत को साबित करने के लिए आवश्यक सामग्री संतुष्ट हो गई थी, और अदालतों ने अपने निष्कर्षों को केवल इस धारणा के आधार पर नहीं रखा कि दस्तावेज़ पुराना था।

बी.

विश्लेषण और निष्कर्ष

सी.

10. तथ्यात्मक चर्चा से, यह स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता के व्यापक गुण थे।अपीलार्थी सम्पत्तियों के कुछ हिस्से का खरीदार होता है।उन संपत्तियों को वसीयतकर्ता के बेटे उपेंद्र ने बेच दिया था।वसीयत में, उपेंद्र को वसीयतकर्ता द्वारा संपत्तियों का कोई भी हिस्सा विरासत में नहीं दिया गया था; इसके बजाय उनका बेटा शिबू एक उत्तराधिकारी और उत्तराधिकारियों में से एक था।इसमें प्रत्यर्थी ने एक तिहाई हिस्से का दावा करते हुए एक मुकदमा दायर किया; अपीलार्थी ने कब्जे में होने का दावा किया।हालाँकि उन कार्यवाहियों में, दोनों अदालतों ने माना कि उसके कब्जे में नहीं था, फिर भी, वादी (वर्तमान प्रतिवादी) का अधिकार साबित नहीं हुआ क्योंकि उसने वसीयतकर्ता की संपत्तियों की जांच या प्रशासन की मांग नहीं की थी। इसलिए, प्रत्यर्थी ने बाद की कार्यवाही में प्रशासन के पत्रों का दावा किया।दोनों अदालतों ने वसीयत को वास्तविक माना है और प्रत्यर्थी द्वारा प्रशासन के दावे को बरकरार रखा है।

डी.

ई.

11. अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि प्रशासन के पत्रों के लिए आवेदन काफी देरी के बाद किया गया था, और यह कि नीचे दिए गए न्यायालयों को साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, जो इस प्रकार हैः

एफ.

“धारा **90-**तीस वर्ष पुराने दस्तावेजों के बारे में अनुमान

जहां तीस वर्ष पुराना होने का तात्पर्य रखने वाला या साबित होने वाला कोई दस्तावेज किसी ऐसी अभिरक्षा से प्रस्तुत किया जाता है जिसे न्यायालय विशेष मामले में उचित समझता है, वहां न्यायालय यह मान सकता है कि हस्ताक्षर और ऐसे दस्तावेज का हर दूसरा हिस्सा, जो किसी विशेष व्यक्ति की लिखावट में होना चाहता है, उस व्यक्ति की लिखावट में है, और निष्पादित या सत्यापित दस्तावेज़ के मामले में, कि इसे विधिवत निष्पादित और सत्यापित किया गया था।

जी.

एच.

उन व्यक्तियों द्वारा जिनके द्वारा इसे निष्पादित और सत्यापित किया जाना है।

स्पष्टीकरण-दस्तावेज़ों को उचित अभिरक्षा में कहा जाता है यदि वे उस स्थान पर हैं, और उस व्यक्ति की देखभाल में हैं जिसके साथ वे स्वाभाविक रूप से होंगे; लेकिन कोई अभिरक्षा

अनुचित नहीं है यदि यह साबित हो जाता है कि इसका वैध मूल था, या विशेष मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो इस तरह के मूल को संभावित बनाती हैं।

बी.

यह स्पष्टीकरण धारा 81 पर भी लागू होता है।"

12. यह अदालत, एल. आर. बनाम के. एम. वीरजे द्वारा एम. बी. रमेश (डी) में

सी.

एल. आर. और अन्य द्वारा उर्स (डी), 8 वसीयत के प्रमाण के मामले में धारा 90 की प्रयोज्यता के संबंध में एक समान तर्क पर विचार करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गयाः

"साथ ही हम प्रत्यर्थीगण की ओर से यह निवेदन भी स्वीकार नहीं कर सकते कि केवल इसलिए कि वसीयत 30 वर्ष से अधिक पुरानी थी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 90 के तहत एक धारणा तैयार की जानी चाहिए कि दस्तावेज़ को विधिवत निष्पादित किया गया है और उन व्यक्तियों द्वारा सत्यापित किया गया है जिनके द्वारा इसे निष्पादित और सत्यापित किया गया है।जैसा कि इस अदालत ने 2009 (3) एस. सी. सी. 687 में रिपोर्ट किए गए भरपुर सिंह बनाम शमशेर सिंह मामले में कहा था, 30 साल पुराने दस्तावेजों के बारे में एक धारणा वसीयत पर लागू नहीं होती है।वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 (सी) के संदर्भ में साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। यह हमें वर्तमान मामले में शामिल महत्वपूर्ण मुद्दे पर ले जाता है, अर्थात संबंधित वसीयत की वैधता और साबित करने के संबंध में।वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 द्वारा आवश्यक तरीके से निष्पादित किया जाना चाहिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 में कम से कम एक प्रमाणित करने वाले गवाह की जांच करके वसीयत को साबित करने की आवश्यकता है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 71 एक अन्य संबंधित धारा है "जो अनुमत और एक सक्षम करने वाली धारा है जो एक पक्ष को कुछ परिस्थितियों में अन्य साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति देती है", जैसा कि इस न्यायालय ने 2003 (2) एस. सी. सी. 91 में जानकी नारायण भोइर बनाम नारायण नामदेव कदम के पैराग्राफ 11 में कहा था और एक तरह से धारा 68 के अनिवार्य प्रावधान की कठोरता को कम करती है।जैसा कि उस फैसले में कहा गया था कि धारा 71 का उद्देश्य सहायता देना और बचाव करना है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

243

आशुतोष सामंत (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनामएसएम। रंजन बाला दासी [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

एक पक्ष जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, लेकिन अन्यथा उसे निराश किया जाएगा यदि अन्य साक्ष्य द्वारा उचित निष्पादन साबित करने के अन्य साधनों की अनुमति नहीं है।"

13. उपरोक्त निर्णय को देखते हुए वसीयत को केवल उनकी उम्र के आधार पर साबित नहीं किया जा सकता है-वसीयत के प्रमाण के मामले में 30 वर्ष से अधिक उम्र के दस्तावेजों की नियमितता के बारे में धारा 90 के तहत धारणा लागू नहीं होती है, जिसे उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 63 (सी) और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68 के संदर्भ में साबित करना होता है।

बी.

14. अक्सर ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब वसीयत जो अन्यथा सत्यापित होने की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसा कि कानून द्वारा प्रदान किया गया है, उक्त दो प्रावधानों के संदर्भ में साबित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रमाणक गवाह उपलब्ध नहीं हैं, या यदि गवाहों में से एक वसीयत को सत्यापित करने से इनकार करता है।साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 69 और 71 तब प्रस्तावक की सहायता के लिए आती हैं।धारा 69 इस प्रकार हैः

सी.

" धारा 69-सबूत जहाँ कोई प्रमाणक गवाह नहीं मिला

डी.

यदि ऐसा कोई प्रमाणक गवाह नहीं मिलता है, या यदि दस्तावेज़ का तात्पर्य यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित किया गया है, तो यह साबित किया जाना चाहिए कि कम से कम एक प्रमाणक गवाह का प्रमाणन उसकी लिखावट में है, और दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में हैं।"

ई.

धारा 71 इस प्रकार हैः

" धारा 71-गवाह का सत्यापन करते समय सबूत निष्पादन से इनकार करता है

यदि सत्यापित करने वाला गवाह दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करता है या याद नहीं करता है, तो इसका निष्पादन अन्य साक्ष्यों द्वारा साबित किया जा सकता है।

एफ.

15. बाबू सिंह और ओआरएस. वी.राम सहाय उर्फ राम सिंह 9,

न्यायालय ने धारा 69 के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

“यह अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे मामले में भी लागू होगा जहां सत्यापित करने वाला गवाह या तो मर चुका है या अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है या प्रतिकूल पक्ष द्वारा रास्ते से बाहर रखा गया है या मेहनती खोज के बावजूद उसका पता नहीं लगाया जा सकता है।केवल उस स्थिति में, वसीयत को धारा 69 में बताए गए तरीके से साबित किया जा सकता है, यानी गवाहों से पूछताछ करके।

जी.

9 सिविल अपील सं. 3124/2008, दिनांक 30.04.2008।

एच.

जो वसीयतकर्ता या निष्पादक की लिखावट को साबित करने में सक्षम थे।सबूत का भार तब दूसरों पर स्थानांतरित किया जा सकता है।18. हालाँकि, वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 और अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सामान्य रूप से साबित किया जाना चाहिए, यदि इसके तत्व, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, रिकॉर्ड पर लाए जाते हैं, तो निष्पादन और सत्यापन के सख्त प्रमाण में ढील दी जाती है। हालाँकि, धारा 69 में विचार किए गए हस्ताक्षर और लिखावट को साबित किया जाना चाहिए।”

बी.

के. लक्ष्मणन बनाम थेक्कायिल में भी धारा 69 पर विचार किया गया था।

पद्मिनी और अन्य 10:“चूंकि दोनों प्रमाणक गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है, इसलिए अधिनियम की धारा 69 के संदर्भ में अपीलार्थी पर यह साबित करना अनिवार्य था कि कम से कम एक प्रमाणक गवाह का प्रमाणन उसकी लिखावट में है और दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उस व्यक्ति की लिखावट में हैं।डी. डब्ल्यू. 3, जो एक्सट में भी एक पहचान करने वाला गवाह था। बी-2 ने विशेष रूप से कहा कि उन्होंने एक्सट के संबंध में एक पहचान गवाह के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए थे। बी-2 और यह भी कि वह एक्स्ट में हस्ताक्षर के बारे में नहीं जानता था। बी-2।इसके अलावा, दस्तावेज़ की प्रकृति पर विचार

करते हुए, जो एक उपहार विलेख था और यहां तक कि यह मानते हुए कि निष्पादक द्वारा दस्तावेज़ के निष्पादन से इनकार करने के लिए कोई अभिवचन दायर नहीं किया गया है और इसलिए, एक प्रमाणक गवाह की जांच करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता और दायित्व नहीं था, लेकिन फिर भी तथ्य यह है कि वादी ने कभी भी उपहार विलेख के निष्पादन को स्वीकार नहीं किया और इसलिए, इसे किसी भी अन्य दस्तावेज़ की तरह साबित करने की आवश्यकता थी।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

16. वी. कल्याणस्वामी (डी) एल. आर. और ओ. आर. एस. बनाम एल. भक्तवत्सलम

(घ) एल. आर. और अन्य द्वारा, 11 ने भी धारा 68 और 69 के प्रभाव पर विचार किया और निम्नानुसार अवलोकन कियाः

"70. साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 पर वापस लौटते हुए, हमारा विचार है कि इसमें आवश्यकता यह होगी कि यदि दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर उसकी लिखावट में साबित होते हैं, तो एक प्रमाणक गवाह का सत्यापन उसकी लिखावट में साबित होना चाहिए।दूसरे शब्दों में, ए

जी.

10 सिविल अपील सं. 7082/2008,03.12.2008 पर निर्णय लिया गया।11 सिविल अपील सं. 1021-26/2013,17.07.2020 पर निर्णय लिया गया।

एच.

245

आशुतोष सामंत (डी) विधिक उत्तराधिकारी एस. बनामएसएम। रंजन बाला दासी [एस. रवींद्र भाट, जे.] ए.

ए.

साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत आने वाले मामले में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुरूप आवश्यकता है कि दोनों गवाहों द्वारा प्रमाणन को कम से कम एक प्रमाणक गवाह की जांच करके साबित किया जाना है।यह हो सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के अर्थ के भीतर, प्रमाणक गवाह द्वारा दिए गए प्रमाण में अन्य प्रमाणक गवाह द्वारा प्रमाणन से संबंधित साक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह वही बात नहीं है जो इसे धारा के तहत कानूनी

आवश्यकता बताती है कि दोनों गवाहों द्वारा प्रमाणन को साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत आने वाले मामले में साबित किया जाना है। संक्षेप में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 के तहत आने वाले मामले में, जहां तक प्रमाणक गवाह का संबंध है, जो साबित किया जाना है, वह यह है कि प्रमाणक गवाहों में से एक का प्रमाणन उसकी लिखावट में है।खंड की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 68, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, दोनों प्रमाणक गवाहों के प्रमाणन को साबित करने पर विचार करती है।लेकिन साक्ष्य अधिनियम की धारा 69 में इसकी आवश्यकता नहीं है।

बी.

सी.

डी.

17. इसलिए यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जहां प्रमाणक गवाहों की मृत्यु हो गई हो, या उन्हें नहीं पाया जा सकता है, प्रस्तावक असहाय नहीं है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 69 लागू होती है।

18. वर्तमान मामले में, दोनों गवाहों की मृत्यु हो चुकी थी।वसीयतकर्ता के दोनों बेटों ने वसीयत पर हस्ताक्षर करने पर अपनी उपस्थिति के बारे में बयान दिया।उन्होंने निवास भुइया के हस्ताक्षरों की भी पहचान की, जिन्होंने वसीयत तैयार की और हस्ताक्षर किए।इसके अलावा, निवास भुइया के बेटे फनी भूषण भुइया (पीडब्लू-4) को अपदस्थ कर दिया गया। अपने साक्ष्य में उन्होंने गवाही दी कि जब वसीयतकर्ता और दो प्रमाणक गवाहों ने वसीयत पर हस्ताक्षर किए तो वह मौजूद थे; वह उनके हस्ताक्षरों की पहचान करने में सक्षम थे।यह गवाह शिक्षित और स्नातक था।जिन परिस्थितियों में वसीयत पर हस्ताक्षर किए गए थे, जहां उस पर हस्ताक्षर किए गए थे और जो सभी मौजूद थे, उन्हें उनके द्वारा अपदस्थ कर दिया गया था। इसके अलावा, गवाह ने भी जिरह का सामना किया।

ई.

एफ.

19. गवाहों के बयान के अलावा, निचली अदालत उस विभाजन विलेख पर निर्भर थी जिसने इसे प्रभावी बनाया और जिसमें वसीयत की शर्तों के अनुसार शेयर वितरित किए गए थे।यह दस्तावेज़ एक पंजीकृत था; इसके अलावा, अपीलार्थी के पूर्ववर्ती स्वर्गीय उपेंद्र ने भी एक दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए जिसमें वसीयत के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था।

जी.

एच.

20. यदि उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाए, और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाए कि उपेंद्र के किसी भी उत्तराधिकारी ने प्रशासन के पत्रों के अनुदान का विरोध नहीं किया, तो केवल एक ही निष्कर्ष हो सकता है, अर्थात, वसीयत को विधिवत निष्पादित किया गया था, और इसमें प्रस्तावक/प्रतिवादी इसे साबित करने में सफल रहे।

21. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय के विवादित फैसले में निष्कर्षों के साथ कोई कमजोरी नहीं मिलती है।इसलिए अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः श्लोका साह और शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.